

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवा-2/3(क)/2(01)/220 /अनु0स्थाना0/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 संख्या-410684/XXX(2)/2026 E-26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी 20 दिनों की अभिवृद्धि करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि 10 जून के स्थान पर 30 जून किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के खण्ड (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिवस (आदेश निर्गत की तिथि से) का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। शासन के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश दिनांक 06-07-2026 द्वारा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के खण्ड (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के द्वारा जारी समय सारिणी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा महिला शाखा (लेवल-8 वेतनमान रु0 47600-151100) समूह-‘ग’ में निम्नांकित प्रवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय/संस्था में उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख)(दो) में उल्लिखित प्राविधानानुसार मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता द्वारा अनुरोध के आधार पर)

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सगीता जोशी	संस्कृत	अ0उ0रा0बा0इ0का0 उत्तरकाशी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून	पुत्र की दिव्यांगता

2- अनुरोधके आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरित प्रवक्ता प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर किये गये हैं, इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई-मेल edusewa12@gmail.com के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

ह0/-

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)

अपर निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

तददिनांक।

पृ0सं0: सेवा-2/3(क)/2(01)/4574-84 /अनु0स्थाना0/2026-27

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभावित अतिथि शिक्षकों का तत्काल समायोजन करना सुनिश्चित करें एवं विभागीय वेबसाइट से स्थानान्तरण आदेश प्राप्त कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी /प्रधानाचार्य के माध्यम से संबंधित प्रवक्ताओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/संस्थाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, संबंधित विद्यालय/संस्था (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति स्थानान्तरित शिक्षक को प्राप्त करवा कर पावती संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित है कि एक ही विद्यालय से एकाधिक विषयों के प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण होने पर जिन विषयों में शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होगी को ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
10. संबंधित प्रवक्ताओं को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
11. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. आदेश गार्ड फाईल।


(जगदीश प्रसाद काला)
उप निदेशक(नामित प्राधिकारी)
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड